



2026:AHC:60881

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2142/2026

इंदु लता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : नितिन शर्मा, पवन सुत

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री नितिन शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से; श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 490/2025, बी.एन.एस. की धारा 351(2), 340(2), 338, 336(3), 318(4) के अंतर्गत, थाना लोनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद में अग्रिम जमानत हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि कहा जाता है कि आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने प्रथम सूचनाकर्ता की संपत्ति का एक उपहार विलेख उसके पति के पक्ष में निष्पादित किया और तत्पश्चात उसके पति ने उसी संपत्ति को सह-अभियुक्त जोसेफ को हस्तांतरित कर दिया और जोसेफ ने उक्त संपत्ति को किसी तृतीय व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया। यह भी प्रतिवादित किया गया है कि संपत्ति के संबंध में पक्षकारों के मध्य एक सिविल वाद लंबित है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार है कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता की संपत्ति का एक उपहार विलेख निष्पादित किया और उसके पति ने उसी संपत्ति को एक जोसेफ के पक्ष में हस्तांतरित किया और जोसेफ ने उसी संपत्ति को किसी तृतीय व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। आवेदक ने वर्ष 2024 में अपनी माँ के विरुद्ध भी एक वाद दायर किया है, जो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) बागपत के समक्ष लंबित है।

6. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में सुस्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और वाद की सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक- **इंदु लता** की उपरोक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे सक्षम न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह सक्षम न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा जिससे कि ऐसे व्यक्ति को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, अभियोजन पक्ष पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

वीरेंद्र